



जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाइट) पूसा, समस्तीपुर



District Institute of Education & Training (DIET) Pusa, Samastipur

डी0एल0एड0 (नियमित एवं दूरस्थ) तथा जिला के प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु शिक्षकों के सतत क्षमता संवर्द्धन हेतु समर्पित राज्य सरकार का संस्थान।

रविन्द्र कुमार
प्र0 प्राचार्य

email - dietpusa.samastipur.bihar@gmail.com
website - www.dietsamastipur.com

सूचना

डी0 एल0 एड0 (नियमित) सत्र 2020-22 में प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन हेतु आवश्यक निर्देश :-

- विज्ञान संकाय में प्रथम चयन सूची में अंकित आवेदकों का नामांकन दिनांक 06.02.2021 को समय 10 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक संस्थान में होगा एवं कला/वाणिज्य संकाय में प्रथम चयन सूची में अंकित आवेदकों का नामांकन दिनांक 07.02.2021 को समय 10 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक संस्थान में होगा। चुकि दिनांक 07.02.2021 को रविवार है। अतः अभ्यर्थी इससे पूर्व ड्राफ्ट, शपथ पत्र सहित अपना सभी प्रमाण-पत्र तैयार कर लेंगे।
- अभ्यर्थी नामांकन हेतु निर्धारित तिथि को ससमय स्वयं उपस्थित रहकर निम्नांकित अभिलेख अपने साथ लेकर आएंगे।
 - मैट्रीक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मूल प्रति (जिसमें अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01.01.2003 से पूर्व की हो)।
इंटर का अंक पत्र (जो 21.01.2020 से पूर्व निर्गत किया गया हो) एवं प्रमाण पत्र मूल प्रति ।
 - विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)।
 - आवासीय प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।
 - जाति प्रमाण पत्र (आरक्षी पदों के लिए) मूल प्रति।
 - आधार कार्ड (मूल प्रति)।
 - आवेदन पत्र की प्रति।
 - दिव्यांग प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।
 - E.W.S सीटों पर नामांकन हेतु प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
 - 4 पासपोर्ट साइज फोटो।
 - नामांकन फीस का ड्राफ्ट (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का) **PRINCIPAL DIET PUSA, SAMASTIPUR** के नाम से जारी तथा **Samastipur** में भुगतेय (Payable) अनु0 जाति/जनजाति/दिव्यांग- 7000.00 (सात हजार रुपये) मात्र ।
अन्य कोटी के लिए-11500.00 (ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये) मात्र ।
 - नॉटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र- जिसमें सारे अभिलेख सही है, गलत पाये जाने पर मेरा नामांकन समाप्त करते हुए मुझ पर विभागीय कारवाई की जा सकती है वर्णित हो।
- एक फाइल में सभी मूल प्रति एवं दो फाइल में सभी मूल प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- सारे अभिलेख लेकर निर्धारित तिथि पर स्वयं उपस्थित नही होने पर नामांकन हेतु दाबा समाप्त समझा जाएगा। कोई अभिलेख अधूरा या नही होने की स्थिति में नामांकन नहीं हो जाएगा।

यह नामांकन सत्र 2020-22 के लिए किया जा रहा है। अतः विभागीय निर्देशों के आलोक में अभ्यर्थी की उम्र की गणना 01 जनवरी 2020 तथा निर्धारित अर्हता की गणना 21 जनवरी 2020 को आधार मानकर होगी।

ABK
02.02.21

प्र0 प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
पूसा, समस्तीपुर।